

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम
का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र
जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से
टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग लम्बाई
3.00 किमी0

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पट्टावली में संलग्न है

ग) परियोजना की लागत।

198.99
~~182.50~~ लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण
किया गया तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक
स्थान निरस्त किये गये।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जानेके लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अनेक रोजगार

2.

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण।

1- नाप भूमि	—	1.992 हे.
2- सिविल वेनाप भूमि	—	0.858 हे0
कुल भूमि	—	2.850 हे0

3.

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

लागू नहीं है।

4.

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?

नहीं

(हां/नहीं)

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।
- संलग्न है।
- संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....


(ई० चन्दन सिंह नेगी)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)